न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी संजु मीणा)

आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 13/2020

1. श्री बिज्जुलाल पुत्र पन्नालाल जाति भील निवासी कीटाप तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजरथान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित पक्षकारः– श्री महावीर प्रसाद मेघवंशी (अधिवक्ता प्रार्थी)
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 10.09.2020

प्रार्थीयागण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बान्दनवाडा पटवार हल्का बान्दनवाडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बान्दनवाडा तहसील भिनाय रिथत खातेदारी भूमि 6627/2821 रकबा 0.07 प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने–जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने ले जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा सं. 2829 का वर्षो से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें हैं जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थीया को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रार्थीयागण की भूमि पर आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात से 30 फीट चौडा रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने की कृपा करावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी सं. 1 को प्रकरण प्रेषित कर जवाब मय मौका रिपोर्ट तलब की गई। पैरोकार सरकार ने जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिवायचक खसरा भूमि 2829 में से तहसीलदार भिनाय द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई हैं। साथ ही स्वीकार किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि 6627/2821 रकबा 0.07 में जाने हेतु रास्ता खसरा सं. 2829 में से होकर ही जाता हैं जिसकी डी.एल.सी. दर 187110/–रू. प्रति हैंक्टेयर बताई गई हैं। चूंकि तहसीलदार भिनाय ने अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि यह रास्ता पुश्तैनी रहा हैं इसलिए निर्धारित नियमानुसार रास्ते हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि की डबल कोस्ट कायम करना ही उपयुक्त एवं न्यायोचित पाया जाता हैं। अतः खसरा नं. 2829 में से 36 वर्गमीटर (9 मीटर चौडा X 4 मीटर लम्बा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 18.71/– रू. प्रति वर्गमीटर से कुल राशि 1348/– रू. मुकर्रर की जाती हैं। प्रार्थी द्वारा राशि राजकोष में जमा कराई जावे। प्रार्थी खातेदार के लिए ग्राम बान्दनवाडा, पटवार हल्का बान्दनवाडा, भू.अभिलेख निरीक्षक बान्दनवाडा तहसील भिनाय रिथत सिवायचक भूमि खसरा नं. 2829 में से 36 वर्गमीटर भूमि प्रार्थीयागण के खेत खसरा नं. 6627/2821 तक रास्ता/मार्गाधिकार कायम किये जाने के आदेश पारित किए जाते है तथा तहसीलदार भिनाय को उनके राजस्व नक्शें में दर्शित रास्ते की यथानुसार तरमीम कर इन खसरा नंबर का बट्टा नंबर कायम कर खाते सरकार किस्म रास्ते से लगाने के आदेश पारित किए जाते है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 10.09.2020 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

(संजु मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.10.14 11:16:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner